

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामीर मे जारी हुए

थर न्यायोचित नही होता डि
जार्जी का जार्जना - पत्र स्वीकार किया
जाये न्यौंकि केवल कब्जे के आधार
पर खातेदारी नहीं दी सकती।

अतः न्यायहित में जार्जी
का जार्जना - पत्र खारिज किया जाता
है। पत्रावली फ़ैल की जाकर दाखिल
दफ़तर की जाती है।

UP
उप जिला कलेक्टर
धौध का बरवाड़ा

